



विदर्भ की खान

• वर्ष 17

• अंक 125

नागपुर, शनिवार, 1 अप्रैल 2017

• पृष्ठ 8

• मूल्य ₹ 2



सुप्रभात

पाकिस्तान में शिया मस्जिद के बाहर विस्फोट, 25 की मौत



पेशावर

पाकिस्तान में शुक्रवार को शिया मस्जिद के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 25 लोग मारे गए जबकि 95 घायल हुए हैं। उत्तर-पूर्वी आदिवासी इलाके के पाराचीनार कस्बे की मस्जिद के बाहर यह धमाका हुआ। मस्जिद भीड़ भरे बाजार में स्थित है, इसलिए जान-माल का नुकसान ज्यादा हुआ। पाकिस्तान तालिबान से अलग हुए गुट जमात-उल-अहरार ने घटना की जिम्मेदारी ली है। अस्पताल में भर्ती कराए गए ज्यादातर घायलों की हालत नाबुक बनी हुई है। 27 घायलों को हेलिकॉप्टर से पेशावर के अस्पताल में भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को घेर लिया है।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। आतंकीयों को हर कीमत पर उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने पीड़ित लोगों की हर संभव का निर्देश अधिकारियों को दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार घटना की जांच के आदेश दिये हैं। पाकिस्तान में पिछले महीने भी कई बड़े आतंकी हमले हुए थे। इनमें से एक सिंध प्रांत में स्थित लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर आत्मघाती हमले में 125 लोग मारे गए थे जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके सौ से ज्यादा आतंकीयों को मार गिराया था।

अमित शाह की टीम में अनिल बलूनी संभालेंगे मीडिया



नई दिल्ली

उत्तराखंड में भाजपा को मिली भारी जीत का पुस्ककार राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी को भी मिला। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें मीडिया विभाग का राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि सह प्रमुख की जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख को दी गई है।

बलूनी को मिला नया पद कई मायनों में अहम है। दरअसल इस अहम विभाग की कमान देने का साफ अर्थ है कि बलूनी शाह के विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं। शायद उनका संयम भी काम आया।

गौरतलब है कि बलूनी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। यह न हो पाने के बावजूद उन्होंने पूरी शिष्ट से शाह के उस निर्देश को पूरा किया था, जिसके तहत चुनाव के दौरान भाजपा का पक्ष आक्रामकता और प्रखरता से जनता के सामने रखना था। ध्यान रहे कि बलूनी से पहले मीडिया का राष्ट्रीय प्रभार संभालते रहे उत्तर प्रदेश में वर्तमान बिजली मंत्री श्रीकांत कुछ इन्होंने गुणों के कारण शाह के विश्वास माने जाते थे। बलूनी को मिली प्रोमोति का एक दूसरा संदेश यह भी है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के सांसदों में से भी किसी एक को कुछ तोहफा मिल सकता है।

अमीरों का कर्ज माफ कर सकते हैं किसानों का क्यों नहीं - राहुल

नई दिल्ली

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे तमिलनाडु के किसानों से मिले। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के अमीर लोगों को कर्ज से राहत दी है, तो फिर इस देश का निर्माण करने वाले लोगों को किसानों को राहत क्यों नहीं दी जा सकती।

तमिलनाडु के किसानों की आवाज न ही भारत सरकार और न ही प्रधानमंत्री को सुनाई देती है। पीएम की जिम्मेदारी है कि इनकी बात सुने।



क्या है किसानों की मांगें

वहीं, खबर है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी जंतर-मंतर पर किसानों से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले एक्टर प्रकाश राज और विशाल भी इन किसानों से मिल चुके

हैं। प्रकाश राज ने कहा था कि इनकी आवाज को नहीं सुन रहा है, मैं यहां आया हूँ ताकि संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस तरफ जा सके। बता दें कि तमिलनाडु में सूखे की मार और कर्ज में दबे 100 किसान यहां आंदोलन पर बैठे हैं।

दुनिया के सबसे बड़े हैकार्थॉन को संबोधित करेंगे मोदी


नई दिल्ली

शनिवार को जब देश की विभिन्न बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए देश भर के दस हजार से ज्यादा युवा प्रोग्रामर जुटेंगे तो उनके विचार जानने व हौसला बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें भाग ले रहे होंगे। देश के ऐसे पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम स्मार्ट इंडिया हैकार्थॉन को प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।

लोगों से जुड़ी बड़ी समस्याओं के नए समाधान तलाशने के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों को उत्साहित करने के लिए हो रहे इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के 29 विभाग भाग ले रहे हैं। इन विभागों ने अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं की पहचान कर उन्हें इस प्रतियोगिता के विषय के तौर पर रखा था। इसमें खास तौर पर डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान पर जोर दिया गया है।



शनिवार सुबह आठ बजे से इसका फाइनल मुकाबला शुरू होगा। यह कार्यक्रम रविवार रात आठ बजे तक चलेगा। इसे देश भर के 26 अलग-अलग जगहों पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री शनिवार को रात दस बजे प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। फाइनल मुकाबले की तैयारी



के लिए छात्रों को अंकों का लक्ष्य प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके लिए 2110 प्रशिक्षकों को लगाया गया था। इस फाइनल मुकाबले के दौरान इसमें भाग ले रही सभी टीम को 36 घंटे के लिए एक बंद जगह पर रह कर दी गई समस्या पर तकनीकी समाधान पेश करना होगा। इन्हें कंप्यूटर साफ्टवेयर के जरिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने होंगे।

इसी के आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा। हर टीम पर तीन टीम को पुस्कृत करने का प्रावधान किया गया है। पहला पुस्कृत पाने वाले को एक लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उसका इस्तेमाल संबंधित मंत्रालय करेगा और जरूरत होगी तो आगे उसे और बेहतर करने की भी कोशिश करेगा। सभी विजेताओं को आपस में जोड़ने के लिए कम्प्यूटि ऑफ इनोवेटिव माइंड्स के नाम से नेटवर्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) आयोजित कर रहा है।

हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में नहीं छलकेंगे जाम



सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर आने वाली शराब की दुकानों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शराब दुकानों के मालिकों को कोई राहत नहीं दी है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20 हजार से कम है वहां हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल सकेंगे। 20 हजार से ज्यादा आबादी होने पर शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा। इससे पहले

गुरुवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक अप्रैल से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में ठेके पर पाबंदी के आदेश से तो कई राज्यों का बजट बिगड़ जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि गत 15 दिसंबर के आदेश में खासिया हैं। कई बाताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई शहर राज्य

राम जन्मभूमि विवाद: सुको ने जल्द सुनवाई करने से किया इनकार

भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में जल्दी सुनवाई से उद्यत न्यायालय ने इनकार कर दिया है। उद्यत न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्वामी की जल्दी सुनवाई की याचिका से इनकार करते हुए उन्हें पक्षकार न मानने के साथ ही समय की कमी बताते हुए जल्द सुनवाई के अनुरोध से इनकार कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान इस मामले के पक्षकारों की दलील थी कि स्वामी इस मुकदमें में पक्षकार नहीं हैं, न्यायालय ने स्वामी से कहा कि हमें आपने यह जानकारी नहीं दी कि आप मुख्य मुकदमें में पक्षकार नहीं हैं। स्वामी ने स्वयं स्वीकार किया कि वह इस मुकदमें में पार्टी नहीं हैं किन्तु इसे वह धार्मिक आस्था का मामला मानते हैं और इसलिए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है।

स्वामी ने कहा कि उनका इस विवाद में संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने याचिका केवल अपने पूजा करने के अधिकार की वजह से दायर की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने इस विवाद की जल्दी सुनवाई के अनुरोध से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि इसी माह उद्यत न्यायालय ने इस विवाद का हल आपसी बातचीत के जरिए किये जाने का को कहा था। न्यायालय ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह मध्यस्ता के लिए तैयार है। इससे पहले भी इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता स्वामी मोहम्मद आरिफ अंसारी के बेटे ने उद्यत न्यायालय को पत्र लिखकर स्वामी द्वारा मामले से जुड़े सभी पक्षों को इत्तला दिए और तत्काल सुनवाई की मांग का विरोध किया था।

राजमार्गों से बिल्कुल सटे हुए हैं, ऐसे में वे लोग कहां जाएं।

मालूम हुआ है कि कुछ राज्य सहित अन्य संगठनों ने 15 अगस्त में फेरबदल की गुहार की है।

दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500

मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी।

हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं उनके खतम होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, इस तरह की दुकानें चल सकेंगी। यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी।

कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान है जिम्मेदार - राजनाथ सिंह

नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घाटी में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री अरुण जेटली, एनएसए अजीत डोभाल, गृहसचिव राजीव महर्षि के साथ-साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके पहले संसद में राजनाथ सिंह ने आतंकीयों के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय युवाओं की पत्थरबाजी के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा है।

लागभग एक घंटे तक चली उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा एजेंसियों की ओर कश्मीर के मौजूदा हालात पर विशेष प्रजेंटेशन दिया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं को मुठभेड़ वाली जगहों पर पहुंच कर पत्थरबाजी के लिए उकसा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से ऐसे वांट्रसएण्ड ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिस पर मुठभेड़ की जगहों की ताजा जानकारी युवाओं को भेजी जाती है। बैठक में पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को



सीमित करने के विकल्प पर भी विचार किया गया। इस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया कि किस तरह पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकीयों के मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों पर पथराव करने का नया ट्रेंड उभरकर सामने आया है और पाकिस्तान सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान स्थानीय युवाओं को भड़काने से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तानी ताकतों के प्रभाव में नहीं आने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अभी तक आतंकवाद का समुचित जवाब देना आया है और आगे भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इससे निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं।

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर

नई दिल्ली

आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी तथा अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इससे पहले वीरभद्र सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ की ओर से दायर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिंह की मांग खारिज कर दी। इसके बाद दिल्ली की अदालत में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है।

सिंह ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि वह उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (2) और 13 (1) और आइपीसी की धारा 109 के तहत सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश दे।

इसके साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह प्राथमिक जांच और प्राथमिकी के रिकॉर्ड तलब



करे। सीबीआइ ने 23 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

वीरभद्र सिंह पर लटकी निरपत्तारी की तलवार

इस मामले में सीबीआइ अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा उनकी धर्म पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह से न केवल पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है, वह उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।

चार्जशीट दायर होने के बाद सीबीआइ अतिरिक्त पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की पिटीशन डाल सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरभद्र सिंह से प्रस्तावित संपत्ति बताने का आरोप है। मामले में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटा बिक्रमसिंह सिंह और बेटा अपराजिता भी आरोपी हैं।

क्या है मामला

वीरभद्र सिंह के परिवार के खिलाफ भी सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआइ ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। वीरभद्र सिंह पर केंद्र में स्टील मंत्री रहते हुए 6.1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति बताने का आरोप है। मामले में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटा बिक्रमसिंह सिंह और बेटा अपराजिता भी आरोपी हैं।

इस्तीफा नहीं देंगे वीरभद्र

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के ताजा फैसले के मद्देनजर उनके इस्तीफे की संभावना से स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया है और आरोप लगाया कि विरिष्ठ कांग्रेस नेता को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद भवन में नियमित संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में सवाल किये जाने पर कहा, निश्चित तौर पर नहीं।

खडसे को दाऊद के नाम से फंसाने वाला हैकर गिरफ्तार



मुंबई

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बातचीत का आरोप लगाने वाले हैकर मनीष भांगले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में फर्जी फोन बुल बनाने के आरोप में शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया गया।

अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त संजय सक्सेना ने बताया कि भांगले ने खडसे और दाऊद के बीच कथित बातचीत का एक फर्जी मोबाइल बिल कंप्यूटर से तैयार किया था। इसके आधार पर उसने इन दोनों के बीच बातचीत होने का दावा किया था। उसने कहा था कि दाऊद ने अपने कराची स्थित आवास से खडसे को फोन किया था। सक्सेना ने कहा कि हमने भांगले को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ समय बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि भांगले पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा), 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली दस्तावेज की तरह प्रस्तुत करना) और 66डी (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि भांगले के इस दावे के बाद पिछले साल जून में खडसे को मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था। उस समय उनके पास कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी।



नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दीं

गुवाहाटी

सबसे बड़े रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र का शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम असम के 21 जिलों में शुरू हुआ है जो अगले पांच दिनों तक चलेगा। राष्ट्रपति ने असम के मुख्यमंत्री से इसे नियमित कार्यक्रम बनाने का निवेदन किया। यह उत्सव असम में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दीं हैं और कहा, यह गर्व की बात है कि असम सरकार ने नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव की शुरूआत की है। इस महोत्सव के लिए शुभकामनाएं।

राष्ट्रपति ने कहा, मैं असम के

मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगियों को यह सुझाव देना चाहंगा कि वे इसे रेग्युलर प्रोग्राम बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय निवेश के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में मौके हैं। यूरोप और अमेरिका अब अधिक दिनों तक इस मामले में भारत के साथ नहीं रहेगा।

नदियों के नाम पर देश का सबसे बड़ा रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पांच दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में पारंपरिक खेल, ब्रह्मपुत्र की आरती, फिल्म शो, सैमिनार, प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर गुवाहाटी को भी एक नया लुक दिया गया है। पूरे शहर में इस फेस्टिवल को लेकर बड़े-बड़े हॉर्डिंग लगाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस फेस्टिवल से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है।